

RAILWAY RECRUITMENT CELL, EASTERN RAILWAY

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR VERIFICATION OF DOCUMENTS (DV)

1. No representative will be allowed instead of the eligible candidates to appear in DV.
2. Following documents in original as well as one attested Xerox copy (by Gazetted Officer) of each are required to be produced before the committee for verification:
 - a) Lower portion of call letter, issued to candidates during CBT and PET (PWBD candidate will bring lower portion call letter of CBT)
 - b) Age proof certificate.
 - c) Valid Photo Identity like Aadhar Card, Voter Card, Pan Card etc.
 - d) Education qualification certificates.
 - e) Valid Caste Certificate, if any, from competent authority. OBC Certificate for OBC candidate should not be older than 01 (one) year from the closing date of notification and in proper format [Annexure – II] mentioning that the candidate does not belong to Creamy Layer. OBC Candidate will have to produce self declaration in prescribed format. Candidate should also submit affidavit that he/she belongs to Creamy Layer Or not.
 - f) Two Passport size photographs as submitted during CBT Application (without wearing Sun Glass and caps)
 - g) Any other documents mentioned by the candidate in the CBT application form.
 - h) PWBD candidates should bring their disability certificate in the format as mentioned in the notification CEN 02/2018 Para 11 & [Annexure – V(A),V(B), V(C)]
 - i) Ex-Serviceman to bring original Service Certificate, Discharge certificate and other relevant documents, issued by appropriate authority.
 - j) CCAA candidates to bring original Certificates as per Para 12 of CEN 02/2018, Certificate of Training in Railway establishment issued by appropriate authority is mandatory.
 - k) Each candidate to submit any other relevant document, required as per instructions in Para 12 of CEN 02/2018.
 - l) Serving Govt/PSU Employees to submit NOC as per Para 13 of CEN 02/2018.
3. The candidates are requested to come prepared to stay for more than one day, at their own expense/arrangements as after clearance from DV committee they would be sent for medical examination.
4. Issue of e-call letter for document verification does not confer any right for recruitment for the post against CEN-02/2018 and filling up of vacancy will be strictly as per merit and on availability of vacancy.
5. The candidates will not be allotted to enter for Verification of Documents without producing Online CBT & PET call letter in original. Preserve the call letter carefully as no photocopy of F.I.R. for loss will be entertained as a substitute. This call letter is not transferable.
6. Any request for change of date will not be permitted under any circumstance.
7. Decision of RRC/ER in all matters will be final and binding upon the candidate.
8. SC, ST candidates are entitled to free rail travel in 2nd class and should produce the call letter with the scanned photographs to the Railway Authorities for checking during journey as and when demanded. Duplicate call letters shall not have the travel facility. They must carry an attested and original copy of their caste certificate alongwith for verification during journey.

Note : This call letter is provisional and does not confer any right or guarantee for employment in Railways. If it is found later at any stage, that the candidate does not fulfil any of the conditions of eligibility, his/her candidature will be cancelled and no appeal against such cancellation will be entertained. He/She is therefore, advised to check carefully and satisfy himself / herself that he / she fulfils all the conditions of the eligibility as per centralized notification No02/2018.

रेल्वे रिक्रूटमेंट सेल, ईस्टर्न रेलवे

डाक्यूमेंट्स (डीवी) के सत्यापन के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

1. डीवी में उपस्थित होने के लिए योग्य उम्मीदवारों के बजाय किसी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जाएगी।
 2. मूल दस्तावेजों के साथ-साथ सत्यापन के लिए समिति के समक्ष प्रत्येक के एक सत्यापित ज़ेरॉक्स प्रतिलिपि (राजपत्रित अधिकारी द्वारा) का उत्पादन किया जाना आवश्यक है:
 - क) सीबीटी और पीईटी के दौरान उम्मीदवारों को जारी किए गए कॉल लेटर का निचला हिस्सा (पीडब्लूडीडी उम्मीदवार सीबीटी के निचले हिस्से के कॉल लेटर को लाएगा)
 - बी) आयु प्रमाण पत्र।
 - सी) वैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड आदि।
 - डी) शिक्षा योग्यता प्रमाण पत्र।
 - ई) सक्षम प्राधिकारी से वैध जाति प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, ओबीसी उम्मीदवार के लिए ओबीसी प्रमाण पत्र अधिसूचना की अंतिम तिथि से 01 (एक) वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और उचित प्रारूप [अनुलग्नक - II] में उल्लेख किया गया है कि उम्मीदवार क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है, के लिए ओबीसी उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप में स्व-घोषणा का उत्पादन करना होगा। उम्मीदवार को यह भी शपथ पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि वह क्रीमी लेयर से संबंधित है या नहीं।
 - च) सीबीटी आवेदन के दौरान जमा किए गए दो पासपोर्ट आकार के फोटो (सन ग्लास और कैप पहने बिना)
 - छ) सीबीटी आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज।
 - ज) पीडब्लूडीडी के उम्मीदवारों को अपने विकलांगता प्रमाण पत्र को प्रारूप CEN 02/2018 पैरा 11 और [अनुबंध - V (ए), वी (बी), वी (सी)] में वर्णित प्रारूप में लाना चाहिए।
 - i) पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को, उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए मूल सेवा प्रमाणपत्र, निर्वहन प्रमाणपत्र और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज लाना अनिवार्य है।
 - j) CCAA के उम्मीदवारों को CEN 02/2018 के पैरा 12 के अनुसार मूल प्रमाणपत्र लाने के लिए, उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी रेलवे प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र लाना और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज लाना अनिवार्य है।
 - k) प्रत्येक अभ्यर्थी को किसी भी अन्य संबंधित दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा, जो CEN 02/2018 के पैरा 12 के निर्देशों के अनुसार आवश्यक है।
 - l) CEN 02/2018 के पैरा 13 के अनुसार सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एनओसी प्रस्तुत करने की आवश्यक है।
 3. उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपने स्वयं के खर्च / व्यवस्था में एक दिन से अधिक समय तक रहने के लिए तैयार रहें, क्योंकि डीवी समिति से मंजूरी के बाद उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा जाएगा।
 4. दस्तावेज सत्यापन के लिए ई-कॉल पत्र जारी करना CEN-02/2018 के खिलाफ पद के लिए भर्ती का कोई अधिकार नहीं प्रदान करता है और रिक्ति को भरने के लिए योग्यता के अनुसार और रिक्ति की उपलब्धता के अनुसार पद आवंटित होगा।
 5. उम्मीदवारों को मूल में ऑनलाइन सीबीटी और पीईटी कॉल पत्र का उत्पादन किए बिना दस्तावेजों के सत्यापन के लिए प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं किया जाएगा। कॉल लेटर को सावधानी से रखें क्योंकि F.I.R की फोटोकॉपी के अनुसार डीवी में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह कॉल लेटर हस्तांतरणीय नहीं है।
 6. किसी भी परिस्थिति में तिथि परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 7. सभी मामलों में आरआरसी / ईआर का निर्णय अंतिम और उम्मीदवार पर बाध्यकारी होगा।
 8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को द्वितीय श्रेणी में मुफ्त रेल यात्रा का हकदार है और मांग के अनुसार यात्रा के दौरान रेलवे अधिकारियों को स्कैन की गई तस्वीरों के साथ कॉल पत्र का उत्पादन करना चाहिए। डुप्लीकेट कॉल लेटर में यात्रा की सुविधा नहीं होगी। उन्हें यात्रा के दौरान सत्यापन के लिए अपने जाति प्रमाण पत्र की एक सत्यापित और मूल प्रति साथ लानी होगी।
- नोट: यह कॉल लेटर रेलवे में रोजगार के लिए कोई अधिकार या गारंटी प्रदान नहीं करता है। यदि यह किसी भी स्तर पर बाद में पाया जाता है, कि उम्मीदवार पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और इस तरह के निरस्तीकरण के खिलाफ कोई अपील की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, उम्मीदवारों को ध्यान से जांच करने और खुद को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है कि वह केंद्रीकृत अधिसूचना नंबर 02/2018 के अनुसार पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करता है।